न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 369 / 2025 दायर दिनॉक 27.10.2025

वादीया		प्रतिवादीगण
1. मीनू कंवर पत्नी चन्द्रपाल सिंह जाति राजपूत निवासी सेवा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना —कुचामन।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना 2. चंद्रपालसिंह पुत्र भंवरसिंह 3. गजराजसिंह पुत्र लादूसिंह 4. दौलतसिंह पत्नी लादूसिंह पिता लादूसिंह 5. निकिता राठौड पुत्री लादूसिंह 6. नितू राठौड पुत्री लादूसिंह 7. प्रिंसी राठौड पुत्री लादूसिंह 8. बजरंग सिंह पुत्र जगमालसिंह 9. विरेन्द्रसिंह पुत्र मांगूसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण सेवा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा— 88 R.T.Act., 136 L.R.Act.

उपस्थितः—

1. श्री महावीर प्रजापत वकील वादी।
2. श्री जयवीरसिंह वकील प्रतिवादी संख्या 2 ता 9

—:: निर्णय ::—

दिनॉक 25.03.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वाके सरहद सेवा पटवार हल्का सूपका, भू.अभि.नि. क्षेत्र दयालपुरा तहसील डीडवाना में वादिया की खरीद सुदा, कब्जे काश्त व खातेदारी सुदा खेत खसरा नम्बर 494 / 212 रकबा 0.2300 हैक्टेयर में अवस्थित है। वादिया ने प्रतिवादीगण सं0 3 ता 7 के पिता लादुसिंह व प्रतिवादी सं० 8 की खातेदारी के खेत पुराने खसरा नम्बर 147 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 212 रकबा 3.3400 हैक्टेयर भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय—पत्र के रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा अर्थात 0.2347 हैक्टेयर भूमि खरीद की गई। तब से वादीया अपने खरीद सुदा कृर्षि भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है। वादीया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय—पत्र खरीद के बाद राजस्व कर्मचारीयों ने वादीया की खरीद सुदा भूमि का अलग खसरा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करते हुये वादीया की खरीद सुदा 01 बीघा 09 बिस्वा अर्थात 0.2347 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में 0.2300 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया, जबकि वादीया संयुक्त खातेदारी के ही सदस्य है तथा वादीया अपनी खरीद सुदा भूमि का अलग से विभाजन नहीं करवाकर अपनी खरीद सुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 15:33:09 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

01 बीघा 09 बिस्वा जो राजस्व रिकॉर्ड में 0.2300 हैक्टेयर भूमि के खसरा नम्बर 494/212 गलत दर्ज हो रखा है, को खसरा नम्बर 212 में सम्मिलित करवाना चाहती है तथा मौके पर वादीया व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी में काश्त करते आ रहे है तथा वादीया ने अपनी खरीद सुदा भूमि की अलग खातेदारी दर्ज करवाने हेतु किसी भी प्रकार का कोई आवेदन भी पेश नही किया गया, केवल मात्र राजस्व कर्मचारीयों की भूल की वजह से ही वादीया के खरीद सुदा 01 बीघा 09 बिस्वा का राजस्व रिकॉर्ड में 0.2300 हैक्टेयर गलत अंकन करते हुये म्यूटेशन के दौरान अलग पुराना खसरा नम्बर 577/147 जिसके नये खसरा नम्बर 494/212 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया, जबकि वादिया खसरा नम्बर 212 की संयुक्त खातेदारी की सदस्य है तथा म्यूटेशन के दौरान राजस्व रिकॉर्ड में 01 बीघा 09 बिस्वा दर्ज हो रखी है, जबकि वर्तमान खतौनी में वादीया की उक्त भूमि 0.2300 हैक्टेयर गलत दर्ज कर दी गई, जिससे वादीया को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको दुरूस्त करवाने हेतु वादीया को यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश करना लाजमी आया है।

वादीया की प्रार्थना इस प्रकार है कि–

वादिया के खरीद सुदा व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पुराना खसरा नम्बर 577/147 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 494/212 रकबा 0.2300 हैक्टेयर भूमि को खसरा नम्बर 212 में सम्मिलित करते हुये संयुक्त खातेदारी में दर्ज की जायें तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया जावे।

पुराने खसरा नम्बर 577/147 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 494/212 रकबा 0.2300 हैक्टेयर को दुरूस्त करते हुये खसरा नम्बर 212 में सम्मिलित किया जावें तथा रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज रकबा 0.2300 के स्थान पर 0.2347 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर वादीया के नाम खातेदारी दर्ज की जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 ता [illegible] से अधिवक्ता जयवीरसिंह ने इकबालिया जवाब पेश किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। [illegible] वाद का खण्डन नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादीया पुराने खसरा नम्बर 577/147 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 15:33:09 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

494/212 रकबा 0.2300 हैक्टेयर को दुरूस्त करते हुये खसरा नम्बर 212 में सम्मिलित किया जावें तथा रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज रकबा 0.2300 के स्थान पर 0.2347 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की इस्तदुआ कर रही है। वादीया की इस्तदुआ को सहखातेदारों द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः वादीया का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:: आदेश ::—

वाके शरहद सेवा पटवार हल्का सूपका वर्तमान खेत खसरा नम्बर 494/212 का रकबा 0.2300 है. के स्थान पर रकबा 0.2347 दुरूस्त किया जाता है एवं वादीया के खसरा संख्या 494/212 रकबा 0.2347 है. को खसरा संख्या 212 में समाहित करते हुये वादीया को खसरा संख्या 212 की भूमि का सहखातेदार घोषित किया जाता है।

Vikas
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 15:53:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना